

बिहार सरकार  
विधि विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-बी0/मु0स्था0-01-02/2010/113/जे0, दिनांक-14.08.2012

पूर्व निर्गत कार्यालय आदेश को आंशिक संशोधन करते हुए विधि विभाग, बिहार, पटना में बिहार राज्य न्यायिक सेवा के पदस्थापित व कार्यरत दो अवर सचिव-सह-उप विधि परामर्शी के बीच कार्यों का वितरण निम्न प्रकार किया जाता है:-

श्री दीपक कुमार सिंह अवर सचिव-सह-उप विधि परामर्शी	श्री कमरूल होदा अवर सचिव-सह-उप विधि परामर्शी
1. राज्य मुकदमा नीति 2011 से संबंधित सभी कार्य।	1. विधि आयोग का स्थापना एवं उससे संबंधित सभी कार्य।
2. राज्य स्तरीय अवमाननावाद कोषांग से संबंधित सभी कार्य।	2. बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद से संबंधित सभी कार्य।
3. निम्न विभागीय वादों का अनुश्रवण एवं उससे संबंधित सभी कार्य।	3. अन्यान्य कार्य, जो समय-समय पर सचिव-सह-विधि परामर्शी द्वारा सौंपे गये कार्य।
4. अन्यान्य कार्य जो समय-समय पर सचिव-सह-विधि परामर्शी द्वारा सौंपे गये कार्य।	

- उक्त कार्यों से संबंधित संचिकाएँ, विशेष सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी के माध्यम से सचिव को उपस्थापित की जायेगी।
- प्रस्ताव में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।


ह0/-अनिल कुमार सिंह

सरकार के अवर सचिव, बिहार।

पटना, दिनांक ...16/08/12

ज्ञापांक .....6119/जे0

प्रतिलिपि:- प्रधान आप्त सचिव, सचिव कोषांग, विधि विभाग, पटना/विशेष सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, विधि विभाग, पटना/सभी पदाधिकारीगण/सभी सहायक, विधि विभाग, पटना/श्री दीपक कुमार सिंह, अवर सचिव-सह-उप विधि परामर्शी, विधि विभाग, पटना एवं श्री कमरूल होदा, अवर सचिव-सह-उप विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(अनिल कुमार सिंह)

सरकार के अवर सचिव, बिहार।